मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 10-8/2011/17/मेडि-2 भोपाल,दिनांक 10/09/2012

प्रति,

समस्त संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।
समस्त विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी मध्यप्रदेश ।

विषयः--लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें ।
सदर्भः--नोटशीट निर्देश, प्रमुख सचिव म.प्र शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग दिनांक 11.09.2012

सम्पूर्ण प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम--2010 के अंतर्गत 16 विभागों की विभिन्न 52 सेवायें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नियम समय सीमा में प्रदाय किया जाना है । इस संबंध में पूर्व में भी विभिन्न विषयों पर आपसे लगातार पत्राचार किया गया है । अतः आप इस अधिनियम एवं लोक सेवा केन्द्रों की सम्पूर्ण परिकल्पना से परिचित है। अधिनियम के तहत सेवायें प्रदान करने के लिये जिला स्तर पर पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों के कार्यालयों में कतिपय सुविधायें आवश्यक होगी।

प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम--2010 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित सेवायें नियत समय सीमा में प्रदाय किया जाना है ।

1. राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन प्रकरण स्वीकृत किया जाना -- जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय
2. विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना -- जिला स्तरीय
3. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना -- विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय

उपरोक्त के संबंध में पूर्व से भी आपसे लगातार पत्राचार किया गया है । अधिनियम के तहत सेवायें प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर पदाभिहित एवं अपील

अधिकारियों के कार्यालयों में कतिपय सुविधाएं आवश्यक होगी । उक्त सुविधायें प्रदान करने के लिये आपको मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करना है :--

<u>कम्प्यूटर उपलब्धता</u> --

प्रत्येक जिले के सभी विभागीय पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अनिवार्यतः कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। विभागीय जिला अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिले में उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी के पास कम्प्यूटर हो, यदि किसी अधिकारी के पास

Dated: 12/10/12

कम्प्यूटर नहीं है तो उसे तत्काल जिला स्तर पर पर ही कम्प्यूटर कय किया जाकर प्रदाय किया जाये, कम्प्यूटर के कय आदेश लघु उद्योग निगम अथवा डीजीएस एण्ड डी को सीधे दिया जा सकता है । इस कय हेतु विभाग की योजना/विभागीय बजट/आकास्मिक निधि/सूचना प्रोद्योगिकी मद का बजट/अन्य कोई मद से राशि व्यय की जायें ।

1. कम्प्यूटर का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध – यह भी अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक नवीन कम्प्यूटर के इंस्टाल किये जाने के समय ही कम्प्यूटर की न्यूनतम 03 वर्ष की वारण्टी हो या उक्त वारण्टी प्राप्त न होने पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध निष्पादित कर लिया जाये । विभाग में जहाँ कम्प्यूटर पूर्व से उपलब्ध हो और उनका अनुरक्षण अनुबंध यदि नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 03 से 05 कोटेशन लिये जाकर वार्षिक अनुरक्षण का अनुबंध करा लिया जाये। इस हेतु राशि व्यवस्था विभाग की योजना/विभागीय बजट/आकास्मिक निधि/सूचना प्रौद्योगिकी मद का बजट/या अन्य कोई मद से जायें ।

2. इंटरनेट कनेक्टिविटी – अधिनियम के तहत सेवायें प्रदाय के लिए लोक सेवा केन्द्र पीपीपी मोड पर प्रारंभ किये जा रहे है, जहां से आवेदन ऑनलाईन पदाभिहित अधिकारियों को प्राप्त होगें । इस हेतु कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक होगी। अतः प्रत्येक पदाभिहित एवं अपील अधिकारी को ब्राड बैण्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाना है । कनेक्टिविटी यथा यथा संभव लैण्डलाईन से प्रदाय की जाये अन्यथा ब्राड बैण्ड डाटा कार्ड प्रदाय करवाये जाये । कनेक्टिविटी कम से कम 512 केबीपीएस की होना चाहियें । कनेक्टिविटी के लिये अनलिमिटेड डाउनलोड वाले प्लान का ही चयन किया जाये ।

3. स्वान कनेक्टिविटी -- उक्त इंटरेनेट/ब्राण्ड बैण्ड फैसेलिटी के साथ–साथ पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में स्वान कनेक्टीविटी भी प्रदाय की जानी है । अर्थात कनेक्टीविटी की दोहरी व्यवस्था (स्वान कनेक्टीविटी एवं इंटरनेट कनेक्शन) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में होनी है । पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में स्वान कनेक्टीविटी हेतु MPSEDC द्वारा निम्ननिर्धारित प्रारूप में जानकारी चाही है:–

क्रमांक	DO/FAO/SAO के पदनाम एवं कार्यालय का पता	नजदीकी स्वान पीओपी से दूरी

कृपया इस प्रपत्र में प्रत्येक कार्यालय के संबंध में चाही गई जानकारी तत्काल भरवाकर एकजाई कर MPSEDC को ई–मेल– kolwadkar@mpsedc.com को प्रेषित कराऐं।

4. डिजिटल हस्ताक्षरः– उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम के तहत लोक सेवाओं के प्रदाय का कार्य पीपीपी मोड से लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। अतः समस्त पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रदाय किये जाने है।

राज्य स्तर पर पूर्व में यह कार्य एनआईसी के द्वारा किया जा रहा था। एनआईसी ने वर्तमान में बडी संख्या में डिजिटल हस्ताक्षर देने में असमर्थता व्यक्त की है। जिला कलेक्टर को लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे जिला स्तर पर सभी 16 विभागों के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी एवं उनके सहायकों को डिजिटल हस्ताक्षर जिला स्तर पर की प्रदाय करायेंगे। इस हेतु जिला मुख्यालय पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर केम्प का आयोजन किया

जायेगा। विभागीय जिलाधिकारी कलेक्टर से आवश्यक परामर्श उपरांत संबंधित एजेन्सी से डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त कर सकेगें । पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, हस्ताक्षर क्लास–2 डोंगल बेस्ड व्यक्तिगत श्रेणी के प्रदाय किये जाना है । डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु राशि की व्यवस्था योजना/विभागीय बजट/आकस्मिक निधि/सूचना प्रोद्योगिकी मद का बजट/अन्य कोई मद से की जायें ।

उक्त उल्लेखित केम्प में सभी अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर क्रय करने हेतु आवश्यक राशि नकद/ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल उपरोक्त मद से भुगतान करें । केम्प के दिन प्रत्येक अधिकारी अपने स्वयं का 02 पासपोर्ट साईज फोटो, पहचान पत्र जिसमें पेन कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/आधार कार्ड आदि । पेन कार्ड एवं स्वतः प्रमाणित निवासी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त समस्त प्रकिया दिनांक 30 सितम्बर 2012 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जाना सुनिश्चित करे ।

(सूरजी डामोर),
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ 10–8/2011/17/मेडि–2 भोपाल,दिनांक 10/09/2012

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लो0स्वा0एवं प0क0 विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संचालक, समन्वय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. नोडल अधिकारी, लोक सेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग